भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार

इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के प्रबंधन और सृजन हेतु पंजीकृत रेपोजिटरी के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश

23 अप्रैल, 2019

डी-23011/11/2019- प्रशा. एवं वित्त:- भांडागरण विकास और विनियामक (जिसे यहाँ इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा 20 अक्टूबर, 2016 को इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के प्रबंधन और सृजन संबंधी दिशानिर्देशो के खंड 29 के अनुसरण में प्राधिकरण रेपोजिटरी के प्रभावी कोर्पोरेट प्रशासन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाता है:-

1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन दिशानिर्देशों को "इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीद प्रबंधन और सृजन हेतु रेपोजिटरी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश" कहा जाएगा।
   (2) ये जारी करने की तारीख से लागू होंगे।

2) **अनुप्रयोग**- ये दिशानिर्देश प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन तथा प्रबंधन के लिए पंजीकृत रेपोजिटरी पर लागू होंगे।

3) **परिभाषाएँ**

(1) इन दिशानिर्देश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "शासी बोर्ड" का अर्थ है रेपोजिटरी का निदेशक मण्डल;

(ख) "स्वतंत्र निदेशक" का अर्थ है, वह निदेशक जो कमोडिटी बाजार में हितधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है तथा जिसका शेयरधारकों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है जो बोर्ड की राय में, भूमिका के साथ टकराव की स्थिति है।

(ग) 'शेयरधारक निदेशक" का अर्थ है वह निदेशक जो शेयरधारकों के हित का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसे शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित या नामांकित है जो व्यापार या क्लियरिंग सदस्य, या उनके सहयोगी और एजेंट नहीं हैं, जैसा भी मामला हो।

(घ) यहाँ पर प्रयुक्त शब्द अभिव्यक्तियाँ जो इन दिशानिर्देशों में परिभाषित नहीं है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा 20 अक्टूबर, 2016 को जारी इलेक्ट्रानिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के सृजन एवं प्रबंध संबंधी दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई हैं या कंपनी अधियाम, 2013 में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू हैं उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिए नियत किया गया है।

4) शासी बोर्ड की संरचना

(1) रेपोजिटरी के शासी बोर्ड में शामिल होंगे:

(क) शेयरधारक निदेशक;

(ख) स्वतंत्र निदेशक; और एक

(ग) प्रबंध निदेशक

(2) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से गैर-कार्यकारी अध्यक्ष शासी बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों में से नियुक्त किया जाएगा।

(3) न्यूनतम तीन स्वतंत्र निदेशकों की संख्या की शर्त के तहत रेपोजिटरी शासी बोर्ड में निदेशकों की संख्या अधिमनतः शेयरहोल्डर निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी।

(4) प्रबंध निदेशक को शेयरधारक निदेशकों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

(5) प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त रेपोजिटरी के किसी कर्मचारी को शासी बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे निदेशक को शेयरधारक निदेशक माना जाएगा।

(6) कोई रेपोजिटरी पार्टीसिपेंट (आरपी) या उनके सहयोगी और एजेंट चाहे जो भी हो जिस रेपोजिटरी के वे आरपी है, वह किसी भी रेपोजिटरी के शासी बोर्ड में नहीं हो सकता। यही शर्त इसके विपरीत लागू रहेगी, बशर्ते के रेपोजिटरी पार्टीसीपेंट -प्लेजी को इसके तहत छूट दी गई हो।

(7) निदेशक की नियुक्ति एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन होगी।

(8) कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शासी बोर्ड की बैठक के कोरम का गठन करने के लिए उपस्थित होगा।

(9) रेपोजिटरी के शासी बोर्ड की बैठकों में निर्णायक मत शासी बोर्ड के अध्यक्ष का होगा।

(10) किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का रेपोजिटरी शासी बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता।

5) निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें

(1) रेपोजिटरी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके सभी निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हर समय फिट एवं उचित व्यक्ति हैं।

(2) रेपोजिटरी शासी बोर्ड में सभी शेयरधारक निदेशकों कि नियुक्ति और पुनः नियुक्ति प्राधिकरण की मंजूरी के तहत होगी।

(3) रेपोजिटरी के शासी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों कि नियुक्ति प्राधिकरण की मंजूरी के तहत होगी।

(4) स्वतंत्र निदेशको को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। कार्य निष्पादन की शर्त के अधीन, उनका कार्यकाल और तीन वर्ष के लिए (अधिकतम दो अवधि) बढ़ाया जा सकता है।

रेपोजिटरी में अवधि समाप्त होने पर स्वतंत्र निदेशक को एक वर्ष की उपशमन अवधि के बाद किसी अन्य रेपोजिटरी में नियुक्त किया जा सकता है। परंतु किसी व्यक्ति को पचहत्तर वर्ष की अधिकतम

आयु के अधीन रेपोजिटरी में अधिकतम तीन अवधियों के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया सकता है।

इसके अलावा इन दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता पोस्ट मौजूदा अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी और निदेशक द्वारा पूरी की गई पूर्व अवधि (अवधियों) पर पात्रता का निर्धारण करते समय विचार किया जाएगा।

(5) रेपोजिटरी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक अपने गवार्निंग बोर्ड को किसी भी हितों के टकराव से अवगत कराएगा जो स्वतंत्र निदेशक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रेपोजिटरी प्रतिभागियों या उनके सहयोगी एजेंट को सेवाएँ प्रदान करने परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है।

(6) कोई भी स्वतंत्र निदेशक तब तक किसी भी रेपोजिटरी शेयरधारक निदेशक नहीं बनेगा नहीं जब तक स्वतंत्र निदेशक के पद से हटने के बाद तीन साल की कूलिंग-ऑफ अवधि पूरी न हुई हो।

(7) रेपोजिटरी बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक उस रेपोजिटरी की पाँच से अधिक सांविधिक समितियों के सदस्य के रूप में एक साथ कार्य नहीं करेगा।

(8) स्वतंत्र निदेशको को कंपनी अधिनियम,2013 के अनुसार केवल सीटिंग शुल्क के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को देय परिश्रमिक दिया जाएगा।

(9) यदि ऐसा कोई मुद्दा उठता है कि स्वतंत्र निदेशक का असाइनमेंट या पद उनकी भूमिका के साथ टकराव रखता है तो प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

6) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए शर्तें

(1) रेपोजिटरी के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीकरण और सेवा की समाप्ति प्राधिकरण की मंजूरी के अधीन होंगी।

(2) प्रत्येक रेपोजिटरी, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश के अधीन प्रबंध निदेशक की योग्यता, नियुक्ति का तरीका, नियम और शर्तें एवं चयन की और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को निर्धारित करेगी।

(3) प्रबंध निदेशक की नियुक्त पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी; बशर्ते कि रेपोजिटरी द्वारा किसी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक के रूप में प्रत्येक पाँच साल की अवधि के साथ हर बार नई नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ अधिकतम दो कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकेगा तथा नियुक्ति पैंसठ वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन होगी।

(4) रेपोजिटरी के प्रबंध निदेशक नहीं होंगे-

(क) रेपोजिटरी शेयरधारक या शेयरधारक का सहयोगी;

(ख) रेपोजिटरी पार्टीसीपेंट या उनके सहयोगी और रेपोजिटरी के एजेंट या शेयरहोल्डर सहयोगी और रेपोजिटरी प्रतिभागियों के एजेंट के भागीदार या शेयरधारक;

(5) प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देशों, दिशानिर्देशों तथा अन्य आदेशों को प्रभावी रूप प्रदान करने में विफल रहने अथवा रेपोजिटरी के नियमों, अंतर्नियमों, उपनियमों तथा विनियमों के अधीन एवं प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृत से रेपोजिटरी के गवार्निंग बोर्ड के अधीन के पास प्रबंध निदेशक को हटाने या सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

(6) प्राधिकरण यदि उचित समझेगा, भांडागारण के परिस्थितिक तंत्र के हित में रेपोजिटरी को प्रबंध निदेशक को हटाने या सेवा समाप्त करने के लिए अपने आप से निर्देशित कर सकता है। यह भी कि प्रबंध निदेशक तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का वाजिब अवसर न दिया गया हो।

(7) निदेशकों की नियुक्ति के लिए इन दिशानिर्देशों के तहत निर्दिष्ट शर्तें दिशानिर्देशों को लागू होने की तारीख पर रेपोजिटरी में प्रबंध निदेशक के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति पर लागू होगी।

(8) दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता मौजूदा पोस्ट अवधि के पूरा होने के बाद निर्धारित की जाएगी। प्रबंध निदेशक द्वारा किसी रेपोजिटरी बोर्ड में पूरा किया गया कार्यकाल और पूर्व कार्यकाल पर पात्रता निर्धारित करते समय विचार किया जाएगा।

7) निदेशकों, प्रबंध निदेशक/ कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया

(1) निदेशकों की नियुक्ति

(i) रेपोजिटरी किसी भी निदेशक की नियुक्ति के लिए प्राधिकरण से अनुमोदन की मांग करते हुए प्राधिकरण को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगी:-

(क) नाम

(ख) पता

(ग) शैक्षिक योग्यता

(घ) रोजगार/व्यवसाय, अतीत और वर्तमान का विवरण

(ङ) निदेशक पद के अन्य विवरण

(च) डीआईएन न.

(छ) योग्य और उचित व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के मानदंड के बारे में घोषणा।

(ज) इन दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश सं. 4 के अनुपालन की घोषणा, के संबंध में रेपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ संबंध न होने की घोषणा।

(झ) भारत में किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा की गई नियामक कार्यवाही का विवरण।

(ञ) निदेशक की राय में ऐसी गतिविधियों का विवरण जो उनकी अयोग्यता का कारण बन सकता है।

(ट) रेपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ संबंध।

(ठ) रेपोजिटरी से या रेपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ जुड़े उसके आश्रितों के नामों का खुलासा।

(ड) आचार संहिता और इन दिशानिर्देशों में निर्धारित नीति शास्त्र संहिता का पालन करने संबंधी अंडरटेकिंग।

(ढ) स्वतंत्र निदेशकों के मामले में, स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति पत्र।

(ण) भारत या विदेश में पूर्ण/लंबित आपराधिक मामले, यदि कोई हों

(ii) शासी बोर्ड की बैठक के कार्यवृत, जिनमें उनके नामों को अनुमोदित किया गया था तथा शेयरधारको का संकल्प (जहां लागू हो) प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी। रेपोजिटरी द्वारा इस आशय की पुष्टि भी की जाएगी वे मानदंड के अनुसार योग्य एवं उचित व्यक्ति है तथा किसी भी रेपोजिटरी प्रतिभागियों के साथ नहीं जुड़े है, जैसा कि इन दिशानिर्देशों में निहित है।

(2) **प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति**

(i) रेपोजिटरी की नामांकन और परिश्रमिक समिति सीईओ/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक के चयन के लिए ज़िम्मेदार होगी जैसा भी मामला हो। निदेशक का चयन कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक के सभी संस्करणों में जारी खुले विज्ञापन के माध्यम से पूंजी बाजार/बैंकिंग/बीमा/प्रबंधन/कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने योग्य व्यक्तियों में से किया जाएगा।

(ii) नामांकन और परिश्रमिक समिति की रिपोर्ट के साथ रेपोजिटरी प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए दो नामों का एक पैनल, बोर्ड की बैठक के कार्यवृत जहाँ इन दोनों नामों की शिफारिश की गई है, इस आशय की पुष्टि कि वह फिट एवं उचित मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा यह घोषणा कि वे किसी आरपी के साथ नहीं जुड़े है प्रस्तुत करेगी, जैसा कि इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट है।

(iii) पुनः नियुक्ति या नियुक्ति के विस्तार के मामले में, रेपोजिटरी ऐसे प्रबंध निदेशक के अंतिम कार्य दिवस से दो महीने पहले प्राधिकरण को आवेदन करेगी।

(iv) यदि अनक्षेपित कारणों से प्रबंध निदेशक का पद खाली हो जाता है, रेपोजिटरी 10 दिनों की अवधि के भीतर अंतरिम प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए मौजूदा निदेशकों में से चयन के लिए दो नामों का एक पैनल अग्रेषित करेगी हालांकि रिक्त होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर ऊपर (i) और (ii) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 60 दिनों की अवधि के अंदर नए प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कि प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

(3) **स्वतंत्र निदेशक**

(i) रेपोजिटरी के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के बाद स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नाम प्राधिकरण को भेजे जायेंगे। शेयरधारकों की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक रिक्ति के लिए न्यूनतम दो नाम प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जायेंगे।

(ii) रेपोजिटरी यह सुनिशित करेगी कि पैनल का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाए, जिनके पास कार्य के संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता है। किसी व्यक्ति विशेष के रूप में स्वतंत्र निदेशक का प्रस्ताव करने का निर्णय लेते समय रेपोजिटरी निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखेगी:

(क) विधि, वित्त, बैंकिंग, बीमा, लेखा, अर्थशास्त्र प्रबंधन, प्रशासन, कृषि, जैविक विज्ञान या वित्त या कमोडिटी बाज़ारों के लिए प्रासंगिक कोई अन्य क्षेत्र में योग्यता

(ख) कम से कम एक व्यक्ति जो वित्त/लेखा में अनुभव और पृष्ठभूमि रखने वाला हो, उसे अधिमानत लेखा परीक्षा समिति में शामिल किया जाएगा।

(ग) प्रतिष्ठित संगठनों में वर्तमान में ट्रस्ट में पदधारक और ज़िम्मेदारी के पदों को धारण करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के पदो से सेवानिवृत्त हुए हैं।

(घ) वे व्यक्ति जिनकी रेपोजिटरी के वाणिज्यिक अनुबंधों और वित्तीय मामलों में रुचि रखने की संभावना है, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो नियमित व्यापारी/बाजार में सट्टेबाज या रेपोजिटरी की इकाई में प्रमोटर के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) स्वतंत्र निदेशक प्रासंगिक क़ानूनों, उपनियमों, व्यावसायिक नियमों, आचार संहिता, नीति शास्त्र संहिता, आदि का अध्ययन कर रेपोजिटरी के लिए अंडरटेकिंग देंगे कि उन्हे अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों और दायित्वों के बारें में पता है। रेपोजिटरी कम से कम प्रत्येक वर्ष प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को सात दिनों का प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

(iv) स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल के विस्तार या नए स्वतंत्र की निदेशक की नियुक्ति के मामले में, रेपोजिटरी कार्यकाल की समाप्ति से दो महीने पहले प्राधिकरण को आवेदन करेगी। इन दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अलावा, स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल के विस्तार के लिए आवेदन के साथ कार्य निष्पादन और अवधि के विस्तार के लिए कारण भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) **शेयरहोल्डर निदेशक**

I. प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों को पहले रेपोजिटरी के गवार्निंग बोर्ड तथा तत्पश्चात शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

II. शेयरधारक निदेशकों का चुनाव, नियुक्ति, कार्यालय, त्यागपत्र, अवकाश आदि को कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अन्यथा विशेष रूप से इन दिशानिर्देशों के तहत जारी परिपत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(5) **निदेशकों की नियुक्ति की सामान्य शर्तें**

(1) प्राधिकरण द्वारा निदेशक के लिए नामांकन/अनुमोदन के 30 दिन के भीतर रेपोजिटरी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करेगी। नियुक्ति की तारीख के एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(2) यदि रेपोजिटरी के किसी अन्य अधिकारी को प्रबंध निदेशक के अलावा गवार्निंग बोर्ड में नियुक्त किया जाता है, उस क्रम में वह मामला शेयरधारकों के और प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन होगा।

8) रेपोजिटरी के गवार्निंग बोर्ड में निदेशकों के लिए आचार संहिता

(1) **बैठके और कार्यवृत्त।**

रेपोजिटरी का प्रत्येक निदेशक:-

(क) किसी भी ऐसे विषय पर चर्चा पर भाग नहीं लेगा जिसमें हितों का टकराव मौजूद है या उठता है, चाहे, वह आर्थिक या अन्यथा हो, और ऐसे मामलो में इस प्रकार का खुलासा किया जाएगा और बैठक के कार्यवृत में दर्ज किया जाएगा;

(ख) बैठक के दौरान कार्यसूची के कागजात के परिचालन को प्रोत्साहित नही करेगा, जब तक वह परिस्थितियाँ के तहत आवश्यक न हो;

(ग) मसौदा कार्यवृत पर टिप्पणी की पेशकश करेगा और सुनिचित करेगा कि वह अंतिम कार्यवृत में शामिल की गई हैं।

(घ) अगली बेठक में पुष्टि के लिए रखी जा रही पिछली बैठक के कार्यवृत्त रखने पर बल देगा।

(ङ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा यदि किसी बैठक की कार्यसूची की सभी मदों को समय के अभाव में कवर नहीं किया जा सका तो शेष मदों पर विचार के लिए को पंद्रह दिनो के भीतर अगली बैठक विचार के लिए आयोजित की जाए।

(2) **स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचार संहिता**

(क) इन दिशानिर्देशों के खंड (1) में बताई गई शर्तों के अलावा, रेपोजिटरी के स्वतंत्र निदेशक शासी बोर्ड की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करेंगे और यदि वह लगातार तीन बार अनुपस्थित रहतें है अथवा एक कैलेंडर वर्ष में गवार्निंग बोर्ड की बैठकों या कुल बैठकों में 75 प्रतिशत भाग नहीं लेते हैं तो, अपना पद खाली करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) सभी स्वतंत्र निदेशक कम से कम साल में एक बार महत्वपूर्ण मुद्दो पर विचारों के आदान प्रदान के लिए अलग से मिलेंगे।

(ग) स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करेंगे जिनमें रेपोजिटरी के लिए हित का टकराव शामिल हो सकता है या कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है या ग्राहकों के हित में नहीं हो सकता है। इस संबंध में उसे प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।

(3) **रणनीतिक योजना**

रेपोजिटरी का प्रत्येक निदेशक

(क) रेपोजिटरी के सार्वधिक हित में शासी बोर्ड स्तर पर रणनीतिक योजना के निर्माण और निष्पादन में सक्रिय निर्णय लेने की दिशा में भाग लेगा।

(ख) रेपोजिटरी को अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ देंगे और रणनीतिक योजना और निर्णयों का निष्पादन के सहयोग प्रदान करेगा।

(4) **विनियामक अनुपालन**

रेपोजिटरी के प्रत्येक निदेशक

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि रेपोजिटरी द्वारा भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत बनाए गए एवं समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देशों सहित सहित सभी लागू अधिनियम/कानूनों का पालन किया जाता है।

(ख) सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ताकि नियामक प्रणाली को उल्लंघनों से कोई नुकसान न हो;

(ग) यह सुनिश्चित करेंगे कि सुधारात्मक कार्यवाही के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए रेपोजिटरी सराहनीय कदम उठाती है

(घ) गवार्निंग बोर्ड और समितियों की बैठक में किसी ऐसे निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे, जो ग्राहक के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और इस तरह के किसी भी निर्णय के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेंगे।

(5) **सामान्य ज़िम्मेदारी**

रेपोजिटरी का प्रत्येक निदेशक

(क) ग्राहक शिकायतों के निवारण और निष्पक्ष व्यवहार को प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता देगा ताकि रेपोजिटरी ग्राहकों और उसके व्यवसाय के विकास के लिए एक इंजन बन सके;

(ख) रेपोजिटरी के मुद्दों का पेशेवर योग्यता, निष्पक्षता, कुशलता तथा प्रभावकरिता के साथ विश्लेषण करेगा और लागू करेगा।

(ग) नियमों अंतर्नियमों के अनुसार समय-समय पर रेपोजिटरी द्वारा आवश्यक प्रकटन/बयान प्रस्तुत करेगा।

(घ) जब तक अन्यथा कानून द्वारा आवश्यक न हो, गोपनीयता बनाए रखेगा और अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान प्राप्त की गई कोई भी जानकारी प्रकट नहीं करेगा और ऐसी कोई जानकारी का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा।

(ङ) व्यक्तिगत ईमानदारी, सच्चाई और धैर्य के उच्चतम मानकों को बनाए रखेगा ताकि जनता का विश्वास अर्जित किया जा सके और ऐसे कृत्यों में संलग्न न हो जो उसकी जिम्मेदारियों के प्रति अनास्था उतपन्न करें।

(च) स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ तरीके से कर्तव्यों का पालन करेगा और उन गतिविधियों से बचेगा जो उनकी अपनी स्वतंत्र या निष्पक्षता या आधिकारिक कर्तव्यों को हानि पहुंचा सकती हो।

(छ) सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्तव्यों का पालन करेगा और रचनात्मकता, समर्पण और अनुकंपा सहित विचारो के खुले आदान प्रदान के साथ रचनात्मक समर्थन करेगा।

(ज) नैतिक अमर्यादा, बेईमानी, धोखाधड़ी, छल या किसी कार्य के लिए पूर्वाग्रह के साथ प्रस्तुत संबन्धित कोई अन्य कार्य नही करेगा।

9) रेपोजिटरी के निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए आचारनीति

(1) **उद्देश्य और अंतर्निहित सिद्धांत**

निदेशक और रेपोजिटरी के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों द्वारा अपनाई जाने वाली आचार नीति संहिता /व्यावसायिक नैतिकता का न्यूनतम स्तर स्थापित करने का प्रयास करती है ताकि रेपोजिटरी के कामकाज में पेशेवर और नैतिक मानकों में सुधार, जमाकर्ता में आत्मविश्वास पैदा हो सके। आचार नीति संहिता निम्नलिखित मौलिक सिद्धांतो पर आधारित है :-

(क) रेपोजिटरी और जमकर्ताओ से मामलों के निपटाने में निष्पक्षता और पारदर्शिता।

(ख) नियामक एजेंसियों तथा रेपोजिटरी द्वारा निर्धारित सभी कानूनों/नियमों/विनियमों का अनुपालन।

(ग) कर्तव्यों के दौरान उचित परिश्रमिता का प्रयोग।

(घ) निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के स्वहित एवं रेपोजिटरी और जमकर्ताओं के कार्मिक और हित के बीच के टकराव से बचाव

(2) **नियामक पर्यवेक्षण समिति**

गवर्निंग बोर्ड के तहत रेपोजिटरी द्वारा इस संहिता के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए, एक नियामक पर्यवेक्षण समिति गठित की जाएगी।

(3) **सामान्य मानक**

(क) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता और समझ को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।

(ख) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, अपने व्यवसाय के संचालन में व्यावसायिक सम्मान के उच्च मानकों और व्यापार के न्यातसंगत सिद्धांतो का पालन करेंगे।

(ग) व्यवसायिक जीवन में निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए जो रेपोजीटरी के अन्य सदस्यो के लिए मानक स्थापित करें।

(घ) निदेशक और मुख्य प्रबंधन कार्मिक अपनी स्थिति का रेपोजिटरी, प्रद्योगिकी या सेवा के कार्यकारी या प्रशासनिक कर्मचारियों प्रदाताओं और विक्रेताओं रेपोजिटरी या किसी भी रेपोजिटरी प्रतिभागी या उनके सहयोगी एजेंट्स से अनुग्रह लेने/देने के लिए उपयोग नहीं करेंगे।

(ङ) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, जो रेपोजिटरी की प्रतिष्ठा को खतरे में डालेगा।

(च) निदेशक, समिति के सदस्य और रेपोजिटरी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, हर समय लागू सभी कानूनों के प्रावधान का पालन करेंगे।

(4) **रेपोजिटरी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों द्वारा इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों के लेन देन का खुलासा**

(क) रेपोजिटरी का कोई मुख्य प्रबंधन कार्मिक भांडागारों या इलेक्ट्रोनिक परक्राम्य भांडागार रसीदों का कोई लेन देन नहीं करेगा तथा तदनुसार रेपोजिटरी को घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(5)हितों के टकराव से बचाव

(क) गवर्निंग बोर्ड का कोई निदेशक या रेपोजिटरी की किसी समिति का सदस्य का कोई सदस्य किसी भी व्यक्ति/मामले जिससे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है या इच्छुक है, किसी भी निर्णय लेने/निपटाने में भाग नहीं लेगा।

(ख)संदेह के मामले में, किसी मामले में हितों का टकराव है या नहीं, इसके लिए गवर्निंग बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

(6)**लाभकारी हित का प्रकटीकरण**

सभी निदेशक और मुख्य प्रबंधन कार्मिक कार्यभार संभालने और कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान, निम्नलिखित के संबंध में गवार्निंग बोर्ड को प्रकट करेंगे:-

(क) स्वयं और परिवार के सदस्यों के बारें में न्यासीय संबंध, किसी भी रेपोजिटरी प्रतिभागी में स्वयं और परिवार के सदस्य साझेदारी होना।

(ख) शेयरहोल्डिंग, ऐसे मामले में जहां निदेशक/प्रमुख प्रबंधन की शेयरधारिता सीधे या उसके परिवार के माध्यम किसी किसी कंपनी में या कमोडिटी बाजार से संबन्धित अन्य संस्थाओं में हो।

(ग) कोई अन्य व्यावसायिक हित।

(7)रेपोजिटरी की कार्यप्रणाली में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशकों की भूमिका

(क) गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक रेपोजिटरी को दिन प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने और गवर्निंग बोर्ड जिन मुद्दों को तय कर सकता है, उनके लिए अपनी भूमिका को सीमित रखेंगे।

(ख) गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक रेपोजिटरी के कर्मचारी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के संचालन को प्रभावित करने से बचेंगे।

(ग) गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के कार्य में शामिल नहीं होंगे जब तक कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा विशेष रूप से चयन समिति के सदस्य के रूप में तय न किया गया हो।

(8)सूचना तक पहुँच

(क) निदेशक केवल विशिष्ट समितियों के भाग के रूप में या गवर्निंग बोर्ड द्वारा अधिकृत के रूप में जानकारी के लिए कॉल कर सकते है या

(ख) सूचना के निर्धारित चैनल होंगे जिनके माध्यम से सूचना दी जाएगी और उस का ऑडिट ट्रेल होगा। गोपनीय दस्तावेजों/ सूचनाओं की कोई पुनर्प्राप्ति को ठीक से दर्ज किया जाएगा।

(ग) ऐसी सभी जानकारी, जो विशेष रूप से गैर-सार्वजनिक और मूल्य संवेदनशील है, रखी जाएगी गोपनीय और किसी भी लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(घ) रेपोजिटरी के व्यवसाय/संचालन से संबन्धित कोई भी जानकारी, जो अपने कर्तव्यों के वहन के दौरान निदेशकों/प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को प्राप्त हो सकती है उसे पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा,

किसी भी तीसरे पक्ष से साझा नहीं किया जाएगा और न बताया जाएगा। कर्तव्यों के वहन को छोड़कर किसी भी तरीके से उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

(9) स्थिति का दुरुपयोग

निदेशक/समिति के सदस्य अपनी स्थिति का उपयोग स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए संगठन में बिजनेस या कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करेंगे।

(10) विनियामक निगरानी समिति प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए

(क) विनियामक पर्यवेक्षण समिति कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करने सहित कोड के तहत आवश्यक खुलासे के लिए रिपोर्टिंग प्रारूप निर्धारित करेगी।

(ख) अनुपालन अधिकारी नियामक ओवरसाइट कमेटी द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को निष्पादित करेगा।

(11) मुख्य प्रबंधन कार्मिक का मुआवजा और कार्यकाल

1. स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत और एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में रेपोजिटरी नामांकन और परिश्रमिक समिति गठित करेगी।
2. नामांकन और परिश्रमिक समिति मुआवजे नीति के संदर्भ में मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के मुआवजे का निर्धारण करेगी।
3. प्रबंध निधेशक को मुआवजे का भुगतान और क्षतिपूर्ति के नियम और शर्तें प्रबंध प्राधिकरण को पूर्व सूचना के साथ होगी।
4. कंपनी अधिनियम,2013 के अनुसार रेपोजिटरी की वार्षिक रिपोर्ट में मुख्य प्रबंधन कार्मिको के दिये गए मुआवजे का खुलासा किया जाएगा।

(12) **सांविधिक समितियाँ**

1॰ प्रत्येक रेपोजिटरी, खंड (2) और खंड (3) के अनुसार नीचे दी गई समितियों का गठन करेगी।

2॰ प्रकार्यात्मक समिति, जिसमें शामिल होंगे:-

(क) रेपोजिटरी प्रतिभागी चयन समिति;

(ख) जमकर्ता/ग्राहक शिकायत निवारण समिति; तथा

3. ओवरसाइट समितियाँ, जिनमें शामिल होंगे:-

(क) प्रौद्योगिकी समिति;

(ख) सलाहकार समिति;

(ग) नामांकन और परिश्रमिक समिति।

(घ) नियामक ओवरसाइट समिति; तथा

(ङ) जोखिम प्रबंधन समिति

1. समितियों की संरचना, कोरम और कार्य समय-समय पर रेपोजिटरी के उपनियमों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार होंगे।

(13) प्रकटीकरण और कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंड:-

1. कंपनी अधिनियम, 2013 में यथावश्यक परिवर्तनो सहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंड रेपोजिटरी पर लागू होंगे।
2. रेपोजिटरी का गवर्निंग बोर्ड ऊपर दिये गए खंड (1) के अनुपालन की पुष्टि वार्षिक आधार पर लिखित रूप से करेगा।
3. रेपोजिटरी विनियामक कार्यो को मजबूत करने की दिशा में प्रतिबद्ध संसाधनों का खुलासा करेगी और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के तहत रेपोजिटरी पर लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन का खुलासा करेगी।
4. रेपोजिटरी द्वारा लगाए गए शुल्क को समीक्षा के लिए रेपोजिटरी की नियामक ओवरसाइट समिति के समक्ष रखा जाएगा।

गणेश ए. बाकड़े
निदेशक (प्रशा. और वित्त)